



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25072026-274811
CG-DL-E-25072026-274811

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3915]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 24, 2026/श्रावण 2, 1948

No. 3915]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 24, 2026/SHRAVAN 2, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2026

का.आ. 4085(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के सोलापुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 548 बी के कि.मी. 289/300 से कि.मी. 315/257 तथा कि.मी. 320/150 से कि.मी. 342/890 (महाराष्ट्र / कर्नाटक सीमा) तक के मार्ग का दो लेन सहित पक्के शोल्डर (Paved Shoulder) विन्यास में पुनर्वास एवं उन्नयन (Rehabilitation and Upgradation) कार्य, ईपीसी (EPC) मोड. के रखरखाव, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी उमरगा, को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को

व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के सोलापुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 548बी के कि.मी. 289/300 से कि.मी. 315/257 तथा कि.मी.

320/150 से कि.मी. 342/890 (महाराष्ट्र / कर्नाटक सीमा) तक के मार्ग का दो लेन सहित पक्के शोल्डर (Paved Shoulder) विन्यास में पुनर्वास एवं उन्नयन (Rehabilitation and Upgradation) कार्य, ईपीसी (EPC) मोड. आदि के लिए अर्जन किए जाने वाली संरचना रहित भूमि का विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: धाराशिव (उस्मानाबाद)		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: उमरगा					
गांव का नाम: आलुर					
1	1018	निजी	जिरायत	0.58 (हेक्टेयर)	0.58
2	1088	निजी	जिरायत	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
3	1180	निजी	जिरायत	0.29 (हेक्टेयर)	0.29
4	1187	निजी	जिरायत	0.09 (हेक्टेयर)	0.09
5	1189	निजी	जिरायत	0.14 (हेक्टेयर)	0.14
6	1190	निजी	जिरायत	0.44 (हेक्टेयर)	0.44
7	1191	निजी	जिरायत	0.34 (हेक्टेयर)	0.34
8	1203	निजी	जिरायत	0.12 (हेक्टेयर)	0.12
9	1210	निजी	जिरायत	0.05 (हेक्टेयर)	0.05
10	1211	निजी	जिरायत	0.09 (हेक्टेयर)	0.09
11	1221	निजी	जिरायत	0.08 (हेक्टेयर)	0.08
12	1222	निजी	जिरायत	0.44 (हेक्टेयर)	0.44
Total					2.86

[फा. सं. RW/NH-12014/122/2024-MAH/ZONE-IV/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th July, 2026

S.O. 4085(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for Rehabilitation and upgradation of NH-548-B from km 289/300 to km 315/257 and km 320/150 to km 342/890 (Maharashtra / Karnataka Border) to two lane with paved shoulder Configuration in district of Solapur in the State of Maharashtra on EPC mode, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub Divisional officer And Land Acquisition Omerga, in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the Land to be acquired, Rehabilitation and upgradation of NH-548-B from km 289/300 to km 315/257 and km 320/150 to km 342/890 (Maharashtra / Karnataka Border) to two lane with paved shoulder Configuration in district of Solapur in the State of Maharashtra on EPC mode.

State: MAHARASHTRA			District: Dharashiv (OSMANABAD)		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Omerga					
Village: Alur					
1	1018	Private	Dry	0.58 (Hectare)	0.58
2	1088	Private	Dry	0.2 (Hectare)	0.2
3	1180	Private	Dry	0.29 (Hectare)	0.29
4	1187	Private	Dry	0.09 (Hectare)	0.09
5	1189	Private	Dry	0.14 (Hectare)	0.14
6	1190	Private	Dry	0.44 (Hectare)	0.44
7	1191	Private	Dry	0.34 (Hectare)	0.34

8	1203	Private	Dry	0.12 (Hectare)	0.12
9	1210	Private	Dry	0.05 (Hectare)	0.05
10	1211	Private	Dry	0.09 (Hectare)	0.09
11	1221	Private	Dry	0.08 (Hectare)	0.08
12	1222	Private	Dry	0.44 (Hectare)	0.44
Total					2.86

[F. No. RW/NH-12014/122/2024-MAH/ZONE-IV/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director